

पत्रांक: 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-08/2018/ 26(310) पं०रा०

**बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग**

प्रेषक,

हरेन्द्र नाथ दुबे, मा०प्र०से०
संयुक्त सचिव

सेवा में,

जिला पदाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत),
जहानाबाद।

विषय : पंचायत आम निर्वाचन, 2011 के अवसर पर कराये गये कार्यों के बकाया
भुगतान हेतु राशि का आवंटन। पटना, दिनांक 31.07.18

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सी०डब्लू०जे०सी० संख्या-349/2018 में दिनांक 10.01.2018 को पारित न्यायादेश के आलोक में पंचायत आम निर्वाचन, 2011 का बकाया भुगतान हेतु कुल ₹3,57,319.00 (तीन लाख सत्तावन हजार तीन सौ उन्नीस रुपये) मात्र की राशि वित्तीय वर्ष 2018-19 में आवंटित की जाती है।

2. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत), जहानाबाद होंगे।

3. इस आवंटित राशि की निकासी स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद के 'मुख्य शीर्ष-2015-निर्वाचन-उपमुख्य शीर्ष-00-लघुशीर्ष-109-पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार-उपशीर्ष-0002-जिला परिषदों/पंचायत समितियों/ग्राम पंचायतों का चुनाव' अंतर्गत 'विषय शीर्ष-0002.13.01-कार्यालय व्यय' इकाई से किया जायेगा। इसकी मांग संख्या 16 एवं विपत्र कोड 16-2015001090002 है।

4. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05/98-2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 289 दिनांक 28.03.2018, 354 दिनांक 28.03.2018 एवं 3244 दिनांक 04.05.2018 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

5. इस आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

6. इस आवंटित राशि की निकासी जिला कोषागार, जहानाबाद से की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

7. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।



लगातार - -

 25/7/18

8. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
9. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
10. आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।
11. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ संयुक्त सचिव, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।
12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वसभाजन

(हरेन्द्र नाथ दुबे)

संयुक्त सचिव

ज्ञापक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-08/2018/26(3-10)/पं०रा० पटना, दिनांक 31-07
प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, जहानाबाद/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जहानाबाद/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना/प्रभारी प्रशाखा-05 (उपयोगिता प्रमाण पत्र कोषांग) एवं 06 (निर्वाचन) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हरेन्द्र नाथ दुबे)

संयुक्त सचिव

ज्ञापक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-08/2018/26(3-10)/पं०रा० पटना, दिनांक 31-07
प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(हरेन्द्र नाथ दुबे)

संयुक्त सचिव

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सौंवा में,

जिला पदाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत), मुंगेर।

पटना, दिनांक 12/10/2020

विषय : वित्तीय वर्ष 2020-21 में पंचायत आम निर्वाचन, 2011 के अवसर पर कराये गये कार्यों का बकाया भुगतान हेतु कुल ₹7,10,002.00 (सात लाख दस हजार दो रुपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि पंचायत आम निर्वाचन, 2011 के अवसर पर कराये गये कार्यों का बकाया भुगतान हेतु कुल ₹7,10,002.00 (सात लाख दस हजार दो रुपये) मात्र की राशि वित्तीय वर्ष 2020-21 में आवंटित की जाती है।

2. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत), मुंगेर होंगे। वे वित्तीय नियमों का अनुपालन करते हुए लंबित विपत्रों की सूक्ष्मता/गहनता से साथ जाँच कराकर ही बकाये का भुगतान करेंगे। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

3. इस आवंटित राशि की निकासी स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद के 'मुख्य शीर्ष-2015-निर्वाचन-उपमुख्य शीर्ष-00-लघुशीर्ष-109-पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार-उपशीर्ष-0002-जिला परिषदों/पंचायत समितियों/ग्राम पंचायतों का चुनाव' अंतर्गत विषय शीर्ष "0002.13.01-कार्यालय व्यय" इकाई से किया जायेगा। इसकी मांग संख्या 16 एवं विपत्र कोड 16-2015001090002 है।

4. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05/98-2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 383 दिनांक 20.03.2020 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

5. इस आवंटित राशि की निकासी जिला कोषागार, मुंगेर से की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

6. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

प्रकाश जी
13/10/20

प्रकाश जी

प्रकाश जी

प्रकाश जी

७

7. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

8. नियमानुसार स्रोतपर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

9. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित है।

10. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-06/2020 के पृष्ठ संख्या 07/टि० पर दिनांक 07/10/2020 को प्राप्त है।

11. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

(कल्पना कुमारी)

अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-06/2020/43849 पं०रा० पटना, दिनांक 12/10/2020

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना/प्रशाखा-5 (उपयोगिता प्रमाण पत्र कोषांग) एवं 06 (निर्वाचन) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(कल्पना कुमारी)

अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-06/2020/43849 पं०रा० पटना, दिनांक 12/10/2020

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(कल्पना कुमारी)

अनुश्रवण पदाधिकारी

50

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

जिला पदाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत), मुजफ्फरपुर।

पटना, दिनांक 12/10/2020

विषय : वित्तीय वर्ष 2020-21 में पंचायत आम निर्वाचन, 2011 के अवसर पर कराये गये कार्यों का बकाया भुगतान हेतु कुल ₹4,63,990.00 (चार लाख तिरेसठ हजार नौ सौ नब्बे रुपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि पंचायत आम निर्वाचन, 2011 के अवसर पर कराये गये कार्यों का बकाया भुगतान हेतु कुल ₹4,63,990.00 (चार लाख तिरेसठ हजार नौ सौ नब्बे रुपये) मात्र की राशि वित्तीय वर्ष 2020-21 में आवंटित की जाती है।

2. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत), मुजफ्फरपुर होंगे। वे वित्तीय नियमों का अनुपालन करते हुए लंबित विपत्रों की सूक्ष्मता/गहनता से साथ जाँच कराकर ही बकायों का भुगतान करेंगे। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

3. इस आवंटित राशि की निकासी स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद के "मुख्य शीर्ष-2015-निर्वाचन-उपमुख्य शीर्ष-00-लघुशीर्ष-109-पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार-उपशीर्ष-0002-जिला परिषदों/पंचायत समितियों/ग्राम पंचायतों का चुनाव" अंतर्गत विषय शीर्ष "0002.13.01-कार्यालय व्यय" इकाई से किया जायेगा। इसकी मांग संख्या 16 एवं विपत्र कोड 16-2015001090002 है।

4. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निदेशित किया जाता है कि संबंधित जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) अपने CFMS Office में उक्त Head Of Account (विपत्र कोड 16-2015001090002) को यथाशीघ्र Map कर लें ताकि CFMS द्वारा उक्त राशि को आवंटित की जा सके।

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05/98-2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 383 दिनांक 20.03.2020 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6. इस आवंटित राशि की निकासी जिला कोषागार, मुजफ्फरपुर से की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र

13/10/20

लगातार

कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

7. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

8. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

9. नियमानुसार स्रोतपर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

10. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित है।

11. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-06/2020 के पृष्ठ संख्या 07/टि० पर दिनांक 07/10/2020 को प्राप्त है।

12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

(कल्पना कुमारी)

अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-06/2020 पं०रा० पटना, दिनांक 12/10/2020
प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर
/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना/प्रशाखा (उपयोगिता प्रमाण पत्र
कोषांग) एवं 06 (निर्वाचन) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(कल्पना कुमारी)

अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-06/2020 पं०रा० पटना, दिनांक 12/10/2020
प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं
विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(कल्पना कुमारी)

अनुश्रवण पदाधिकारी

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

जिला पदाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत), कैमूर।

पटना, दिनांक 11.01/2021

विषय : पंचायत आम निर्वाचन, 2016 के अवसर पर कराये गये कार्यों के बकाया विपत्रों के समायोजन हेतु कुल ₹1,15,929.00 (एक लाख पन्द्रह हजार नौ सौ उनतीस रुपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि पंचायत आम निर्वाचन, 2016 के अवसर पर कराये गये कार्यों के बकाया विपत्रों के समायोजन हेतु कुल ₹1,15,929.00 (एक लाख पन्द्रह हजार नौ सौ उनतीस रुपये) मात्र की राशि वित्तीय वर्ष 2020-21 में आवंटित की जाती है।

2. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत), कैमूर होंगे। वे वित्तीय नियमों का अनुपालन करते हुए लंबित विपत्रों की सूक्ष्मता/गहनता से साथ जाँच कराकर ही बकाये का भुगतान करेंगे। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

3. इस आवंटित राशि की निकासी स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद के "मुख्य शीर्ष-2015-निर्वाचन-उपमुख्य शीर्ष-00-लघुशीर्ष-109-पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार-उपशीर्ष-0002-जिला परिषदों/पंचायत समितियों/ग्राम पंचायतों का चुनाव" अंतर्गत विषय शीर्ष "0002.13.01-कार्यालय व्यय" इकाई से किया जायेगा। इसकी मांग संख्या 16 एवं विपत्र कोड 16-2015001090002 है।

4. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05/98-2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 383 दिनांक 20.03.2020 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

5. इस आवंटित राशि की निकासी जिला कोषागार, कैमूर से की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।



उत्तराखण्ड

6. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

7. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

8. नियमानुसार स्रोतपर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

9. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित है।

10. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-06/2020 के पृष्ठ संख्या.../टि० पर दिनांक...06.../...01.../2020 को प्राप्त है।

11. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

(कल्पना कुमारी)

अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-06/2020/5230/पं०रा० पटना, दिनांक. 11/01/2021
प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, कैमूर /सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना/प्रशाखा-5 (उपयोगिता प्रमाण पत्र कोषांग) एवं 06 (निर्वाचन) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(कल्पना कुमारी)

अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-06/2020/5230/पं०रा० पटना, दिनांक. 11/01/2021
प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(कल्पना कुमारी)

अनुश्रवण पदाधिकारी

50-5

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

प्रशाखा पदाधिकारी-सह-
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 11/01/2021

विषय : बिहार पंचायत आम निर्वाचन, 2021 की तैयारी हेतु कुल
₹2,50,00,000.00 (दो करोड़ पचास लाख रुपये) मात्र की राशि का
आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार पंचायत आम निर्वाचन, 2021 की तैयारी हेतु कुल ₹2,50,00,000.00 (दो करोड़ पचास लाख रुपये) मात्र की राशि वित्तीय वर्ष 2020-21 में आवंटित की जाती है।

2. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना होंगे। इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी।

3. इस आवंटित राशि की निकासी स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद के "मुख्य शीर्ष-2015-निर्वाचन-उपमुख्य शीर्ष-00-लघुशीर्ष-109-पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार-उपशीर्ष-0002-जिला परिषदों/पंचायत समितियों/ग्राम पंचायतों का चुनाव" अंतर्गत विषय शीर्ष "0002.13.01-कार्यालय व्यय" इकाई से किया जायेगा। इसकी मांग संख्या 16 एवं विपत्र कोड 16-2015001090002 है।

4. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05/98-2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 383 दिनांक 20.03.2020 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

5. राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना का यह दायित्व होगा की क्रय की गई सामग्रियों के संरक्षण हेतु समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे ताकि भविष्य में इनका उपयोग पंचायत चुनावों के लिए किया जा सके।

6. इस आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

U/c कोषागार
12/1/21

8. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
9. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
10. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
11. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-06/2020 के पृष्ठ संख्या...17.../टि० पर दिनांक...06.../...01.../2021 को प्राप्त है।
12. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।
13. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

(कल्पना कुमारी)

अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-06/2020/53(आ) पं०रा० पटना, दिनांक...21/01/2021
प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय
कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना/प्रशाखा-5
(उपयोगिता प्रमाण पत्र कोषांग) एवं 06 (निर्वाचन) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
प्रेषित।

(कल्पना कुमारी)

अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-06/2020/53(आ) पं०रा० पटना, दिनांक...11/01/2021
प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं
विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(कल्पना कुमारी)

अनुश्रवण पदाधिकारी

११/०१/२०२१

पत्रांक: 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-07/2021/21 (अ.प्र.)/पं०रा०

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

प्रशाखा पदाधिकारी-सह-
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 7/7/2021

विषय : वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार पंचायत आम निर्वाचन, 2021 हेतु राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार पंचायत आम निर्वाचन, 2021 की तैयारी/व्यवस्था के लिए कुल ₹5,00,00,000.00 (पाँच करोड़ रुपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

2. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना होंगे। इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी।

3. इस आवंटित राशि की निकासी स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद के "मुख्य शीर्ष-2015-निर्वाचन-उपमुख्य शीर्ष-00-लघुशीर्ष-109-पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार-उपशीर्ष-0002-जिला परिषदों/पंचायत समितियों/ग्राम पंचायतों का चुनाव" अंतर्गत विषय शीर्ष "0002.13.01-कार्यालय व्यय" इकाई से किया जायेगा। इसकी मांग संख्या 16 एवं विपत्र कोड 16-2015001090002 है।

4. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05/98-2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998 एवं 345 दिनांक 25.03.2021 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

5. राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना का यह दायित्व होगा की क्रय की गई सामग्रियों के संरक्षण हेतु समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे ताकि भविष्य में इनका उपयोग पंचायत चुनावों के लिए किया जा सके।

6. इस आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि मंहालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

8. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
9. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
10. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
11. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन संचिका संख्या: 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-07/2021 के पृष्ठ संख्या 03/टि० पर दिनांक 07.07.21 को प्राप्त है।
12. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।
13. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वामाजन्

(कल्पना कुमारी)

अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-07/2021/21(अ) पं०रा० पटना, दिनांक..7/7/21
प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना/प्रशाखा-5 (उपयोगिता प्रमाण पत्र कोषांग) एवं 06 (निर्वाचन) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(कल्पना कुमारी)

अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-07/2021/21(अ) पं०रा० पटना, दिनांक..7/7/21
प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(कल्पना कुमारी)

अनुश्रवण पदाधिकारी

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

प्रशाखा पदाधिकारी-सह-
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 11/9/2020

विषय : बिहार पंचायत उप निर्वाचन, 2020 के निमित्त मतदान सामग्रियों के क्रय, भुगतान एवं विपत्रों के समायोजन हेतु राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार पंचायत उप निर्वाचन, 2020 के निमित्त मतदान सामग्रियों के क्रय भुगतान एवं विपत्रों के समायोजन हेतु कुल **₹11,50,000.00** (ग्यारह लाख पचास हजार रुपये) मात्र की राशि वित्तीय वर्ष 2020-21 में आवंटित की जाती है।

2. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना होंगे। इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी।

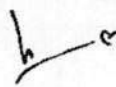
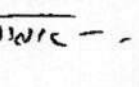
3. इस आवंटित राशि की निकासी स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद के **मुख्य शीर्ष-2015-निर्वाचन-उपमुख्य शीर्ष-00-लघुशीर्ष-109-पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार-उपशीर्ष-0002-जिला परिषदों/पंचायत समितियों/ग्राम पंचायतों का चुनाव** अंतर्गत विषय शीर्ष **"0002.13.01-कार्यालय व्यय"** इकाई से किया जायेगा। इसकी मांग संख्या 16 एवं विपत्र कोड 16-2015001090002 है।

4. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05/98-2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 383 दिनांक 20.03.2020 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

5. राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना का यह दायित्व होगा की क्रय की गई सामग्रियों के संरक्षण हेतु समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे ताकि भविष्य में इनका उपयोग पंचायत चुनावों के लिए किया जा सके।

6. इस आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

8. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
9. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
10. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
11. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।
12. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।
13. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

(कल्पना कुमारी)

अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-06/2020/35(श्री) पं०रा० पटना, दिनांक.11/9/20
प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना/प्रशाखा-5 (उपयोगिता प्रमाण पत्र कोषांग) एवं 06 (निर्वाचन) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(कल्पना कुमारी)

अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-06/2020/35(श्री) पं०रा० पटना, दिनांक.11/9/20
प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(कल्पना कुमारी)

अनुश्रवण पदाधिकारी

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

जिला पदाधिकारी सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत), मुजफ्फरपुर।

पटना, दिनांक 12/10/2020

विषय : वित्तीय वर्ष 2020-21 में पंचायत आम निर्वाचन, 2011 के अवसर पर कराये गये कार्यों का बकाया भुगतान हेतु कुल ₹4,63,990.00 (चार लाख तिरैसठ हजार नौ सौ नब्बे रुपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि पंचायत आम निर्वाचन, 2011 के अवसर पर कराये गये कार्यों का बकाया भुगतान हेतु कुल ₹4,63,990.00 (चार लाख तिरैसठ हजार नौ सौ नब्बे रुपये) मात्र की राशि वित्तीय वर्ष 2020-21 में आवंटित की जाती है।

2. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत), मुजफ्फरपुर होंगे। वे वित्तीय नियमों का अनुपालन करते हुए लंबित विपत्रों की सूक्ष्मता/गहनता से साथ जाँच कराकर ही बकायों का भुगतान करेंगे। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

3. इस आवंटित राशि की निकासी स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद के "मुख्य शीर्ष-2015-निर्वाचन-उपमुख्य शीर्ष-00-लघुशीर्ष-109-पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार-उपशीर्ष-0002-जिला परिषदों/पंचायत समितियों/ग्राम पंचायतों का चुनाव" अंतर्गत विषय शीर्ष "0002.13.01-कार्यालय व्यय" इकाई से किया जायेगा। इसकी मांग संख्या 16 एवं विपत्र कोड 16-2015001090002 है।

4. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) अपने CFMS Office में उक्त Head Of Account (विपत्र कोड 16-2015001090002) को यथाशीघ्र Map कर लें ताकि CFMS द्वारा उक्त राशि को आवंटित की जा सके।

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05/98-2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 383 दिनांक 20.03.2020 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6. इस आवंटित राशि की निकासी जिला कोषागार, मुजफ्फरपुर से की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाई का कोड, विपत्र


 लागू

कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण सुगुणित ढंग से हो सके।

7. वितीय नियमावली, बजट गैनुअल तथा अन्य सुरांगत अगिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय समय पर निर्गत आदेशों का पृढतापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

8. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

9. नियमानुसार स्रोतपर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्यय पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

10. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित है।

11. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 01-06/2020 के पृष्ठ संख्या 07/टि० पर दिनांक 07/10/2020 को प्राप्त है।

12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरवन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वसामाजन

(कल्पना कुमारी)

अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 01-06/2020 पं०रा० पटना, दिनांक 11/10/2020
प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, गुजफरपुर
/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना/प्रशाखा-5 (उपयोगिता प्रमाण पत्र
कोषांग) एवं 06 (निर्वाचन) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(कल्पना कुमारी)

अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 01-06/2020 पं०रा० पटना, दिनांक 12/10/2020
प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं
विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(कल्पना कुमारी)

अनुश्रवण पदाधिकारी

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

प्रशाखा पदाधिकारी-सह-
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 18/3/2020

विषय : वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय हेतु स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्य शीर्ष-2015-निर्वाचन-उपमुख्य शीर्ष-00-लघुशीर्ष-101-निर्वाचन आयोग-उपशीर्ष-0001-राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायती राज)* मद में राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक बजट शीर्ष के अन्तर्गत विषय शीर्ष-0001.01.03-जीवन यापन भत्ता मद में कुल ₹3,00,000.00 (तीन लाख रुपये) मात्र एवं विषय शीर्ष-0001.11.01-यात्रा व्यय मद में कुल ₹2,00,000.00 (दो लाख रुपये) मात्र अर्थात् कुल ₹5,00,000.00 (पाँच लाख रुपये) मात्र की राशि वित्तीय वर्ष 2019-20 में आवंटित की जाती है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05/98-2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 256 दिनांक 26.02.2019, 3392 दिनांक 01.03.2019, 732 दिनांक 31.07.2019, 6786 दिनांक 19.08.2019 एवं 885 दिनांक 03.02.2020 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

3. आवंटित की जा रही राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना होंगे। इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी।

4. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

6. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

8.16 16/3/2020

7. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
8. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
9. आवंटित राशि की व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
10. आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।
11. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।
12. इसकी मांग संख्या 16 एवं विपत्र कोड संख्या 16-2015001010001 है।
13. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

(कल्पना कुमारी)

अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक: 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-03/2019/74.62/पं०रा० पटना, दिनांक 18/3/2020
प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सचिवालय कोषागार पदाधिकारी, सिचाई भवन, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(कल्पना कुमारी)

अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक: 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-03/2019/74.62/पं०रा० पटना, दिनांक 18/3/2020
प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(कल्पना कुमारी)

अनुश्रवण पदाधिकारी

8.15

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

ब्रजनन्दन प्रसाद,
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

सेवा में,

प्रशाखा पदाधिकारी सह
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 15/1/2020

विषय : पंचायत उप निर्वाचन, 2020 के संवालेन एवं इस निमित्त मतदान सामग्रियों के क्रय हेतु राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि पंचायत उप निर्वाचन, 2020 के संवालेन एवं इस निमित्त मतदान सामग्रियों के क्रय हेतु कुल ₹10.00 लाख (दस लाख रुपया) मात्र की राशि वित्तीय वर्ष 2019-20 में आवंटित की जाती है।

2. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रशाखा पदाधिकारी सह निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना होंगे। इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंघाई भवन, पटना से की जायेगी।

3. इस आवंटित राशि की निकासी स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद के "मुख्य शीर्ष-2015-निर्वाचन उपमुख्य शीर्ष-00-लघुशीर्ष 109-पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार-उपशीर्ष-0002 जिला परिषदों/पंचायत समितियों/ग्राम पंचायतों का चुनाव" अंतर्गत विषय शीर्ष "0002.13.01 कार्यालय व्यय" इकाई से किया जायेगा। इसकी मांग संख्या 16 एवं विपत्र कोड 16 2015001090002 है।

4. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम 4 05/98 2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 256 दिनांक 26.02.2019, 3392 दिनांक 01.03.2019, 732 दिनांक 31.07.2019 एवं 6786 दिनांक 19.08.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

5. इस आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

6. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट गुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संचारण समुचित ढंग से हो सके।

7. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

गुप्त

ह

ह

हस्ताक्षर

12

8. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की रवीकृति नहीं रागझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्यवाही की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
9. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्यय पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
10. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।
11. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण), पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।
12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरवन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वसम्मान

(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक : 54/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 01 06/2019/64(अ/प्र) पं०रा० पटना, दिनांक 15/1/2020
प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंवाई भवन, पटना/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना/प्रशाखा 5 (उपयोगिता प्रमाण पत्र कोषांग) एवं 06 (निर्वाचन) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक : 54/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 01 06/2019/64(अ/प्र) पं०रा० पटना, दिनांक 15/1/2020
प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

(Three handwritten signatures)

पत्रांक: 54/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 01 08/2018/63(अभ)/पंरा०

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

ब्रजनन्दन प्रसाद,
रायकुटा निदेशक (अनुश्रवण)

सेवा में,

जिला पदाधिकारी सह
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत),
गोपालगंज।

पटना, दिनांक 15/1/2020

विषय : विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 26(स्वी०) दिनांक 18.12.2019 द्वारा स्वीकृत कुल ₹10.00 लाख (दस लाख रुपये) मात्र की अनुग्रह अनुदान राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 26(स्वी०) दिनांक 18.12.2019 द्वारा पंचायत आम निर्वाचन, 2016 के अवसर पर कर्तव्य के दौरान स्व० गो० सार्विक, सहायक शिक्षक, उत्क्रमिक मध्य विद्यालय, गोपालगंज की मृत्यु के उपरान्त उनके आश्रिता को ₹10.00 लाख (दस लाख रुपये) मात्र की अनुग्रह अनुदान राशि स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त विभागीय स्वीकृत्यादेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल ₹10.00 लाख (दस लाख रुपये) मात्र की अनुग्रह अनुदान राशि आवंटित की जाती है।

2. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला पदाधिकारी सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत), गोपालगंज होंगे।

3. इस आवंटित राशि की निकासी स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद के "मुख्य शीर्ष 2015 निर्वाचन उपमुख्य शीर्ष 00-लघुशीर्ष 109-पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार उपशीर्ष-0002-जिला परिषदों/पंचायत समितियों/ग्राम पंचायतों का चुनाव" अंतर्गत विषय शीर्ष "0002.37.01-अनुग्रह अनुदान" इकाई से किया जायेगा। इसकी मांग संख्या 16 एवं विपत्र कोड 16 2015001090002 है।

4. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निदेशित किया जाता है कि संबंधित जिला पदाधिकारी सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) अपने CFMS Office में उक्त Head Of Account (विपत्र कोड) को यथाशीघ्र Map कर लें ताकि CFMS द्वारा उक्त राशि को आवंटित की जा सके।

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम 4 05/98-2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 256 दिनांक 26.02.2019, 3392 दिनांक 01.03.2019, 732 दिनांक 31.07.2019 एवं 6786 दिनांक 19.08.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6. इस आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. इस आवंटित राशि की निकारी जिला कोषागार, गोपालगंज से की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/ उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
7. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुरंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
8. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की रवीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्यवाही की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
9. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकारी एवं व्यय पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
10. आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।
11. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण), पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।
12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरबन्धु पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

आपांक : 54/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 01 08/2018/63(अ) पं०रा० पटना, दिनांक 15/11/2020
प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, गोपालगंज/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना/प्रभारी प्रशाखा 05 (उपयोगिता प्रमाण पत्र कोषांग) एवं 06 (निर्वाचन) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

आपांक : 54/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 01 08/2018/63(अ) पं०रा० पटना, दिनांक 15/11/2020
प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

गुप्त

४

✓

पत्रांक: 54/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 01 03/2019/62 (अभ)/पं०रा०

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

ब्रजनन्दन प्रसाद,
रांयुक्ता निदेशक (अनुश्रवण)

सेवा में,

प्रशाखा पदाधिकारी राह
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 15/01/2020

विषय : वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय हेतु स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्य शीर्ष-2015 निर्वाचन-उपमुख्य शीर्ष-00-लघुशीर्ष-101-निर्वाचन आयोग-उपशीर्ष 0001 राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायती राज) मद में राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक बजट शीर्ष के अन्तर्गत विषय शीर्ष 0001.28.02 संविदा रोवाई मद में कुल ₹15,00,000.00 (पन्द्रह लाख रुपये) मात्र की राशि वित्तीय वर्ष 2019-20 में आवंटित की जाती है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम 4 05/98 2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 256 दिनांक 26.02.2019, 3392 दिनांक 01.03.2019, 732 दिनांक 31.07.2019 एवं 6786 दिनांक 19.08.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

3. आवंटित की जा रही राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रशाखा पदाधिकारी राह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना होंगे। इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंवाई भवन, पटना से की जायेगी।

4. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं गांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

6. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

7. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

8. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकाशी एवं व्यय पदाधिकारी/मुगलान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

9. आवंटित राशि की व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पौववी तारीख तक मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।

10. आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

11. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ संयुक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

12. इसकी गांग संख्या 16 एवं विपत्र कोड संख्या 16 2015001010001 है।

13. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरवन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासप्रमाण

(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक: 54/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 01 03/2019/62(अभ)/पं०रा० पटना, दिनांक 15/01/2020
प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सचिवालय कोषागार सहायक, सिवाई भवना, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक: 54/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 01 03/2019/62(अभ)/पं०रा० पटना, दिनांक 15/01/2020
प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

पत्रांक: 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-08/2018/ ३२(आप)/पं०रा०

बिहार सरकार
पंचायती राज विम ग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

सभी संबंधित जिला पदाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत),
(कैमूर एवं मुंगेर को छोड़कर)।

पटना, दिनांक 12/3/2020

विषय : वित्तीय वर्ष 2019-20 में पंचायत उप निर्वाचन, 2020 हेतु राशि का आवंटन।
महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि पंचायत उप निर्वाचन, 2020 हेतु मुख्य शीर्ष-2015-निर्वाचन-उपमुख्य शीर्ष-00-लघुशीर्ष-109- पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार-उपशीर्ष-0002-जिला परिषदों/पंचायत समितियों/ग्राम पंचायतों का चुनाव के यात्रा व्यय इकाई 0002.11.01 में कुल ₹84,53,210.00 (चौरासी लाख तिरपन हजार दो सौ दस रुपये) मात्र एवं कार्यालय व्यय इकाई 0002.13.01 में कुल ₹2,41,94,700.00 (दो करोड़ इकतालीस लाख चौरानवें हजार सात सौ रुपये) मात्र अर्थात् कुल ₹3,26,47,910.00 (तीन करोड़ छब्बीस लाख सैंतालीस हजार नौ सौ दस रुपये) मात्र की राशि वित्तीय वर्ष 2019-20 में निम्नरूपेण आवंटित की जाती है:-

क्र०	जिला का नाम	मतदान केन्द्रों की अनुमानित संख्या	कार्यालय व्यय इकाई अंतर्गत ₹8100.00 की दर से आवंटित राशि	यात्रा व्यय इकाई अंतर्गत ₹2830.00 की दर से आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि
1	बक्सर	26	210600	73580	284180
2	रोहतास	39	315900	110370	426270
3	भोजपुर	52	421200	147160	568360
4	नालंदा	39	315900	110370	426270
5	पटना	52	421200	147160	568360
6	गया	65	526500	183950	710450
7	नवादा	165	1336500	466950	1803450
8	औरंगाबाद	65	526500	183950	710450
9	जहानाबाद	13	10530	36790	142090
10	अरवल	26	210600	73580	284180
11	सारण	607	4916700	1717810	6634510
12	सीवान	208	1684800	588640	2273440
13	गोपालगंज	91	737100	257530	994630
14	मुजफ्फरपुर	208	1684800	588640	2273440

15	वैशाली	26	210600	73580	284180
16	पूंचम्पारण	78	631800	220740	852540
17	पूंचम्पारण	39	315900	110370	426270
18	सीतामढ़ी	13	105300	36790	142090
19	शिवहर	26	210600	73580	284180
20	भागलपुर	104	842400	294320	1136720
21	बांका	52	421200	147160	568360
22	मधुबनी	117	947700	331110	1278810
23	समस्तीपुर	78	631800	220740	852540
24	दरभंगा	65	526500	183950	710450
25	सहरसा	65	526500	183950	710450
26	मधेपुरा	26	210600	73580	284180
27	सुपौल	52	421200	147160	568360
28	पूर्णिया	78	631800	220740	852540
29	अररिया	52	421200	147160	568360
30	किशनगंज	52	421200	147160	568360
31	कटिहार	39	315900	110370	426270
32	जमुई	213	1725300	602790	2328090
33	बेगुसराय	65	526500	183950	710450
34	खगड़िया	39	315900	110370	426270
35	लखीसराय	26	210600	73580	284180
36	शेखपुरा	26	210600	73580	284180
कुल योग		2987	24194700	8453210	32647910

(तीन करोड़ छब्बीस लाख सैंतालीस हजार नौ सौ दस रुपये) मात्र

2. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिले के जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) होंगे।
3. इसकी मांग संख्या 16 एवं विपत्र कोड 16-2015001090002 है।
4. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निदेशित किया जाता है कि संबंधित जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) अपने CFMS Office में उक्त Head Of Account (विपत्र कोड) को यथाशीघ्र Map कर लें ताकि CFMS द्वारा उक्त राशि को आवंटित की जा सके।
5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05/98-2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 256 दिनांक 26.02.2019, 3392 दिनांक 01.03.2019, 732 दिनांक 31.07.2019, 6786 दिनांक 19.08.20 9 एवं 885 दिनांक 03.02.2020 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

(Handwritten signatures)

९

6. इस आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. इस आवंटित राशि की निकासी संबंधित जिले के जिला कोषागार से की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/ उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों को कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

8. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य संगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

9. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्यवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

10. नियमानुसार भ्रष्ट पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

11. आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

12. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

13. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन
(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-06/2019/न० 254/पं०रा० पटना, दिनांक 12/3/20
प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पट 1/सभी संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना/प्रभारी प्रशाखा-05 (उपयोगिता प्रमाण पत्र कोषांग) एवं 06 (निर्वाचन) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-06/2019/न० 254/पं०रा० पटना, दिनांक 12/3/20
प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

जिला पदाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत), मुंगेर।

पटना, दिनांक 6/3/2020

विषय : पंचायत आम निर्वाचन, 2016 के अवसर पर कराये गये कार्यों के बकाया भुगतान हेतु कुल ₹22,99,111.00 (बाईस लाख निन्यानबे हजार एक सौ ग्यारह रुपये) मात्र राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि पंचायत आम निर्वाचन, 2016 के अवसर पर कराये गये कार्यों का बकाया भुगतान हेतु कुल ₹22,99,111.00 (बाईस लाख निन्यानबे हजार एक सौ ग्यारह रुपये) मात्र की राशि वित्तीय वर्ष 2019-20 में आवंटित की जाती है।

2. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत), मुंगेर होंगे।

3. इस आवंटित राशि की निकासी स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद के "मुख्य शीर्ष-2015-निर्वाचन-उपमुख्य शीर्ष-00-लघुशीर्ष-109-पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार-उपशीर्ष-0002-जिला परिषदों/पंचायत समितियों/ग्राम पंचायतों का चुनाव" अंतर्गत विषय शीर्ष "0002.13.01-कार्यालय व्यय" इकाई से किया जायेगा। इसकी मांग संख्या 16 एवं विपत्र कोड 16-2015001090002 है।

4. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05/98-2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 256 दिनांक 26.02.2019, 3392 दिनांक 01.03.2019, 732 दिनांक 31.07.2019, 6786 दिनांक 19.08.2019 एवं 885 दिनांक 03.02.2020 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

5. इस आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

6. इस आवंटित राशि की निकासी जिला कोषागार, मुंगेर से की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

7. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
8. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
9. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
10. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।
11. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।
12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

(कल्पना कुमारी)

अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-06/2019/71(अ/१)/पं०रा० पटना, दिनांक 6/3/2020
प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना/प्रशाखा-5 (उपयोगिता प्रमाण पत्र कोषांग) एवं 06 (निर्वाचन) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(कल्पना कुमारी)

अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-06/2019/71(अ/१)/पं०रा० पटना, दिनांक 6/3/2020
प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(कल्पना कुमारी)

अनुश्रवण पदाधिकारी